सं० ओ० वि० एफ०डी०/58-87/30145.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं० मैनेजिंग डायरेक्टर कन्फैड, ऐस०सी०ओ० नं० 1014-15, सैक्टर 22 बी, चण्डीगढ़ (2) मैनेजर, कन्फैड, प्लाट नं० 94, सैक्टर 6, फरीदाबाद, के श्रमिक मिस रेवा शर्मा, पुत्री श्री एस०पी० शर्मा, मकान नं० 1716, सैक्टर 7-ई, फरीदाबादा तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिये अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतू निर्दिष्ट करते हैं।

क्या मिस रेवा शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत की हकदार है ?

सं० ओ० वि० एफ०डी०/161-87/30153.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मे० राजधानी सैल्ज कारपोरेशन, 12/1, मथुरा रोड फरीदाबाद, के श्रमिक श्री श्याम लाल, पुत्र श्री फयादीम मार्फत सीटू, 2/7, गोपी कालोनी पुराना फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिये अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतू निर्दिष्ट करते हैं ।

क्या श्री श्याम लाल की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं चुकती हिसाब प्राप्त करके नौकरी छोड़ी है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फसस्वरुप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि० एफ.डी./गुड़गांव/173-87/30160.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं० दी रिवाड़ी सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि०, रिवाड़ी (हरियाणा) के श्रमिक श्री महेन्द्र सिंह, पुत्र श्री राम चन्दर, गांव बावरोली, तहसील रेवाड़ी जिला महेन्द्रगढ़ तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिये अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबादा को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त माला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतू निर्दिष्ट करते हैं।

क्या श्री महेन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि० एफ.डी./गुड़गांव/170-87/30167.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं० हीरो हाण्डा मोटरज लि०, धारुहेड़ा (हरियाणा) के श्रमिक श्री विरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री चन्दा राम मार्फत श्री महाबीर त्यागी औरगैनाईजर इन्टक देहली रोड़ गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है न्यायनिर्णय एवं पचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री विरेन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

संख्या ओ० वि०/एफ०डी०/गुड़गांव/133-87/30174.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० न्यू फोम रब्बड़ इण्डस्ट्रीज 31-बी, इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, गुड़गांव, के श्रमिक श्री दील बहादुर, मार्फत श्री मुरली कुमार महा सचिव, 5/1, शिवा जी नगर, गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री दील बहादुर की सेवा समाप्त की गई है या उस ने स्वयं गैर-हाजिर हो कर लियन खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 31 जुलाई, 1987

संख्या ओ० वि० एफ०डी०/61-87/30703.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० पंजाब इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं० 150, सैक्टर 24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री डालू यादव, मार्फत हिन्द मजदूर सभा, 29, शहीद चौक, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/मामले के न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं;

क्या श्री डालू यादव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

संख्या ओ० वि० एफ०डी०/61-87/30710.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० पंजाब इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं० 150, सैक्टर 24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री लक्षमण प्रसाद, मार्फत हिन्द मजदूर सभा 29, नीलम सिनेमा फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछिनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खंण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंन्धिंत मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री लक्षमण प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

संख्या ओ० वि० एफ०डी०/61-87/30717.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० पंजाब इण्डस्ट्रीज प्लाट नं० 150, सैक्टर 24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री बी. के. राय, मार्फत हिन्द मजदूर सभा 29, नीलम सिनेमा फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक

अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जोकि उक्त प्रबन्धक तथा श्रमिक के बीच या जो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंन्धित मामला है न्याय निर्णय हेतू एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री बी. के. राय की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ० वि०एफ०डी/79-87/30724.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० एस्कोर्टस लि०, (मोटर साईकिल डिवि०), 19/6, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री ईश्वर सिंह, पुत्र श्री रिसाल सिंह मार्फत श्री डी० पी० गौतम, आल एस्कोर्टस इम्पलाईज यूनियन, नीलम फलाई ओवर, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बंन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री ईश्वर सिंह की सेवाओं समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि० एफ०डी०/118-86/30732.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० कैपिटल रबड़ एण्ड प्लास्टिक, 22-ए, औद्योगिक क्षेत्र, फरीदाबाद के श्रमिक श्री तुलसी पंडित मार्फत भारतीय मजदूर संघ, विश्वकर्मा भवन, नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बंन्धित मामला है न्यायनिर्णय एव पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं।

क्या श्री तुलसी पंडित की सेवा समाप्त की गई हैं या उसने स्वयं नौकरी से गैर-हाजिर होंकर लियन खोया है? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि० एफ०डी०/104-87/30739.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० ब्राईट मैटल कोटिंग, डी०एल०एफ० एरिया, फरीदाबाद के श्रमिक श्री जनार्दन प्रसाद, पुत्र श्री ललन सिंह मार्फत हिन्द मजदूर सभा 29, शहीद चौक, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसगत या संबंधित मामला है न्याय निर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : –

क्या श्री जनार्दन प्रसाद की सेवा समाप्त की गई है या उसने कार्य से स्वयं गैरहाजिर हो कर नौकरी से अपना पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?